[2019] एस. सी. आर. 1078

शिव शंकर प्रसाद सिंह

बनाम्

बिहार राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1804/2011)

फरवरी 28,2019

[न्यायमुर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमुर्ति आर. सुभाष रेड्डी]

दंड संहिता, 1860-धाराऐ 409, 477 क सपठित धारा120B-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 -धारा 5 (2) सपठितधारा 5 (1) (सी) और (घ)-अभियोजन मामला यह था कि अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों ने साजिश रची औरउर्वरकों के थैलों का दुरुपयोग किया और अभिलेखों में गलत प्रविष्टियां कीं-शिकायत के आधार पर, प्राथमिकी दर्ज की गई-अपीलकर्ता-अभियुक्त संख्या 3 और 1 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई द्वारा भा.दं.सं. की धारा 120 (ख) सपठित धारा ए 409 एवं 477 क के तहत दंडनीय अपराध और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) डी के तहत दंडणीय अपराध के लिए फिर धारा 5(2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया ..धाराओं के तहत अपराधों के लिए पी. सी. 5 (2)-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की-अपील पर अभिनिर्धारित किया अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की समग्रता पर विचार करते हुए, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया-मूल इरादे से गबन के आरोप के अलावा अभियोजन पक्ष का विशिष्ट मामला है कि सभी अभियुक्तों ने साजिश रची थी-इस प्रकार, अपीलकर्ताओं शेष सजा काटे।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

अभिन्निधरित किया 1. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रारंभिक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केवल 540 बोरियों में युरिया का गबन किया गया था, लेकिन जांच में पता चला कि पूरे 1040 बोरों में युरिया का गबन किया गया था। अभियोजन पक्ष का यह विशिष्ट आरोप अपीलकर्ताओं और अन्य अभियुक्तों ने आपराधिक इरादे से साजिश रची है और खातों को गलत तरीके से पेश करने में शामिल हुऐ हैं। यूरिया के 1040 थैलों में से 500 थैलों को ट्रकों में लादा हुआ जिसका निबंधन सं. बी. आर. आई.-7851 और बी. एच. एफ.-3155 है में प्रत्येक में 250 थैलो को दिखया गया था जिसे तिलराथ में भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) के गोदाम को इसे सौपना था किन यह पाया गया कि इस तरह के उर्वरक थैलों की कोई वास्तविक डिलीवरी नहीं की गई थी और एफ. सी. आई. के रिकॉर्ड गलत थे।अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष का विशिष्ट वाद संख्या 03/20112011 का 3 यह है कि वह गेट पर रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के लिए जिम्मेदार था और उसने यूरिया के ऐसे 500 थैलों के आगमन की झूठी प्रविष्टियां की हैं, हालांकि ऐसा उर्वरक वास्तव में वितरित नहीं किया गया था।इसी तरह और तदनुसार, 'ओ' प्रपत्र और 'जी' प्रपत्र में आगे के रजिस्टरों में, झूठी प्रविष्टियां की गईं जिनके लिए अपीलार्थी-अभियुक्त नं.1 जिम्मेदार है। सिर्फ इसलिए कि प्रारंभिक शिकायत में यूरिया के 540 थैलों के गबन का उल्लेख किया गया है, कोई भी उस आरोप पत्र को नजरअंदाज नहीं कर सकता है जो जांच के बाद दायर किया गया था जिसमें यूरिया के 1040 थैलों की पूरी मात्रा के गबन का पता चला था।यही बात जाँच अधिकारी के बयान से स्पष्ट है जिसकी जाँच अभियोजन गबाह.21 के रूप में की गई थी।अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जहाँ तक यूरिया के 500 थैलों का संबंध है, हालांकि उन्हें दो ट्रकों में लादा गया था, जिनका संख्या बीबी. आर. आई.-7851 और बी. एच. एफ.-3155 है लेकिन उन्हें तिलरथ में एफ. सी. आई. गोदाम में नहीं ले जाया गया और मुख्य द्वार रजिस्टर और अन्य रजिस्टरों में झूठी प्रविष्टियां की गईं जिन्हें 'ओ' फॉर्म और 'जी' फॉर्म में उल्लेख किया जा रहा है ताकि यह दिखाया जा सके कि उर्वरक की इतनी मात्रा वितरित की गई थी। [कंडिका 19] [1085-जी-एच; 1086-ए-डी]

2. अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अभियुक्त का अपराध साबित कर दिया है। अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जैसा कि अपीलीय अदालत द्वारा पुष्टि की गई है, या तो विकृत हैं या गलत हैं ताकि इसमें हस्तक्षेप किया जा सके। आपराधिक इरादे से गबन आरोपों के अलावा अभियोजन पक्ष का एक विशिष्ट मामला है कि सभी अभियुक्तों ने साजिश रची और भा.दं.सं की धारा 120बी के तहत अपराध के लिए दंडनीय है यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य अभियुक्तों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दी गई है। [कंडिका 22] [1087-डी-एफ]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील सं. 1804/2011

आपराधिक अपील सं. 281/1997 (एकल न्यायधीश) में पारित पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के दिनांक 17.02.2009 के निर्णय एवं आदेश 1997 (एस. जे.) की अपील सं. 281

के साथ

2011 की आपराधिक अपील संख्या 1805/2011

संतोष मिश्रा, मनीष कुमार, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, सुश्री अपराजित सिंह, टी. महिपाल, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

पी. के. डे, ए. के. श्रीवास्तव, अरविंद कुमार शर्मा, अशोक कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायामूर्ति आर. सुभाष रेड्डी,

निर्णय

1. विशेष न्यायाधीश सीबीआई (उत्तर), पटना द्वारा विशेष मामला संख्या 18/1982 में दिनांक 26.09.1997 के निर्णय से उत्पन्न इन दो आपराधिक अपीलों को एक साथ सुना जाता है और इस निर्णय द्वारा उनका निपटान किया जाता है।

2. इन अपीलों में अपीलार्थियों ने आपराधिक अपील सं. 281 और 282, 1997 दिनांक 17.02.2009, पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित संयुक्त निर्णय को चुनौती दिया है।

3. यहां अपीलार्थी विशेष न्यायाधीश, सीबीआई (उत्तर), पटना के समक्ष 1982 के विशेष मामला संख्या 18 में क्रमशः अभियुक्त संख्या 3 और 1 हैं।उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 477 ए के साथ पठित धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, 'पीसी अधिनियम') की धारा 5 (1) (सी) और (डी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे।सी. बी. आई. (उत्तर), पटना ने दिनांक 26.09.1997 के निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 477 क के साथ पठित धारा 120 ख के अधीन और दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम की धारा 5 (1) (घ) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए भी सिद्धदोष ठहराया।

4. अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध के लिए 3 साल के लिए सश्रम कारावास से गुजरने के लिए भी सजा सुनाई गई थी। 2011 की आपराधिक अपील संख्या 1805 में अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 477 ए के तहत अपराध के लिए 3 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें 2 वर्ष के लिए सश्रम कारावास एवं जुर्माना रु० 10,000/- प्रत्येक की सजा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 5 (1) (सी) और (डी) के तहत् सुनाई गई थी ।

5. चूंकि अपीलार्थियों पर दोषसिद्धि अभिलिखित की गई है और दंड अधिरोपित किया गया है, (शिव शंकर प्रसाद सिंह) अभियुक्त संख्या 3 और अभियुक्त संख्या 1 (रामदेव प्रसाद), उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष क्रमशः 1997 का 281 और 1997 का 282 आपराधिक अपील दायर की है।उच्च न्यायालय ने, अपीलकर्ताओं के खिलाफ दर्ज

दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, सजा को कम कर दिया है।आपराधिक अपील संख्या 1804/2011 में अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के साथ पठित धारा 120 बी के तहत 6 महीने के लिए दंडित किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 477 ए के तहत 6 महीने के लिए दंडित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 477 क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 5 (1) (ग) के साथ पठित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5 (2) के अधीन छह मास के लिए और 15,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है।

6. पूर्वोक्त दो अपीलों का निपटान अभियुक्त नं. 4 द्वारा दायर अपील के साथ किया गया।अर्थात् (राम नाथ शर्मा @राम नाथ प्रसाद शर्मा) आपराधिक अपील संख्या 299/1997 में और अभियुक्त नं.2, यानी (राम उदय सिंह)।यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि जहां तक 'राम नाथ शर्मा' द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2009 के आदेश द्वारा 2009 की अपील की विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या 4005 में इसे खारिज कर दिया गया है।

7. अभियोजन का मामला दिनांक 23.12.1981 (प्रदर्श 8) की शिकायत पर आधारित है, जो एस. पी. सिंह (पी. डब्ल्यू. 5), उप प्रबंधक (सतर्कता और सुरक्षा), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), पटना की रिपोर्ट पर आधारित है।उक्त शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) (प्रदर्श 9) दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का यह कहना था कि रामदेव प्रसाद ने एफ. सी. आई., तिलरथ, जिला-बेगुसराय के डिपो प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए, ने अन्य आरोपी रामनाथ शर्मा, एजी-III, जो बरौनी में रेलवे साइडिंग के प्रभारी एफसीआई के रूप में काम कर रहे थे और एक रमा शंकर प्रसाद सिंह, जो मार्च 1980 के दौरान एफएसडी एफसीआई, तिलरथ में हैंडलिंग/ट्रांसपोर्टिंग ठेकेदार थे, के साथ मिलकर साजिश रची और उर्वरकों (यूरिया) की 540 थैलियों की हेराफेरी की। यह आरोप लगाया गया है कि 24.03.1980 को बरौनी रेलवे स्टेशन पर उर्वरक की 500 और 540 बोरियों वाले दो वैगन उतारे गए थे। उसी दिन, कथित उर्वरक बैगों को उतारा गया और ऐसे सामानों की डिलीवरी रामनाथ शर्मा द्वारा ले ली गई।यह अभियोजन का एक और मामला है कि रामदेव प्रसाद एजी-I को 1980 के दौरान

तिलरथ में एफएसडी, एफसीआई के डिपो प्रभारी के रूप में तैनात किया गया था और वह डिपो के समग्र प्रभारी थे और सभी स्टॉक की सुरक्षा और गोदाम के रिकॉर्ड के उचित रखरखाव के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार थे।यह आरोप लगाया गया है कि शिवशंकर प्रसाद सिंह एजी-III के रूप में काम कर रहे थे और वह डिपो में खेप की प्राप्ति के प्रभारी थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि मद्रास और कटक से यूरिया के 500 बैग और 540 बैग क्रमशः बरौनी में प्राप्त हुए थे और दोनों वैगनों को 24.03.1980 को रेलवे स्टेशन पर तैनात एफसीआई कर्मचारियों को डिलीवरी देने के लिए रेलवे साइडिंग में रखा गया था। अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि रामनाथ शर्मा ने 25.03.1980 को रेलवे स्टेशन, बरौनी से 1040 बैग यूरिया की डिलीवरी ली और 24.03.1980 और 25.03.1980 को रेलवे डिलीवरी बुक के पृष्ठ संख्या 12 और 13 के माध्यम से खेप प्राप्त करने के प्रतीक में डिलीवरी बुक पर अपने हस्ताक्षर किए।

8. आगे यह आरोप लगाया गया है कि रामनाथ प्रसाद शर्मा ने 24.03.1980 को राम उदय सिंह के प्रतिनिधि को 500 बैग यूरिया दिया, जिन्होंने ट्रक संख्या बीआरआई-7851 और बीएचएफ-3155 के माध्यम से 500 बैग यूरिया की ढुलाई के लिए रामनाथ प्रसाद शर्मा द्वारा जारी किए गए दो गेट पास संख्या 14791 और 14792 में हस्ताक्षर किए।अभियोजन पक्ष का यह मामला है, जैसा कि आरोप-पत्र में कहा गया है, कि यूरिया की 500 थैलियों की उपरोक्त खेप, जिसे कथित रूप से दो ट्रकों में ले जाया जाता है, जिसकी संख्या बीआरआई-7851 एवं बीएचएफ-3155 यूरिया की 250 थैलियों के साथ तिलरथ स्थित एफसीआई के गोदाम में नहीं ले जाया गया है।तथापि, अपीलार्थियों ने मुख्य द्वार रजिस्टर (प्रदर्श 6), अराइवल टैली बुक, 'जी'-फॉर्म और 'ओ'-फॉर्म दिनांक 24/25 मार्च, 1980 के अभिलेखों को गलत साबित किया है।उक्त 500 बैग शिवशंकर प्रसाद सिंह, एजी-III द्वारा प्राप्त किए गए थे, जिन पर रामदेव प्रसाद द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए थे और उक्त दस्तावेजों को इनवर्ड रजिस्टर, एफसीआई, एफएसडी, तिलरथ के आधार पर तैयार किया गया था, जिसमें शिवशंकर प्रसाद सिंह ने प्रत्येक 250 बैग यूरिया के साथ ट्रक संख्या (जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है) का आगमन दिखाया है।यह अभियोजन पक्ष का आगे का मामला है कि जांच से पता चला है कि हालांकि रामनाथ शर्मा को प्राप्त यूरिया की शेष 540 बोरियां

कथित तौर पर प्रत्येक ट्रक में 270 बोरियां यूरिया के साथ भेजी गई थीं, लेकिन इस मात्रा को उन सभी अभियुक्तों द्वारा आपराधिक रूप से दुर्विनियोजित किया गया था जिन्होंने इस तरह के दुर्विनियोजन के लिए साजिश रची थी।

9. इसमें अपीलार्थियों के दोष को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों से पूछताछ की है।पीडब्लू-1 (श्री शंकर चौधरी), एक टाइपिस्ट, प्रदर्श-1 के अधीन मंजूरी आदेश साबित करने की जाँच की गई ।पीडब्लू-2 (एस. बी. लाल), जो एक सहायक प्रबंधक (अनुबंध) हैं, की तिलरथ में एफएसडी के लिए संचालन/परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति को साबित करने के लिए जांच की गई थी।पीडब्लू-4, बृजदेव राम, जो 1979-1980 के बीच एफएसडी, एफसीआई, तिलरथ में तैनात एजी-3 के रूप में काम कर रहे थे, की जांच एफएसडी, एफसीआई, तिलरथ दिनांक 25.03.1980 से 24.12.1981 के ओ-फॉर्म (प्रदर्श-4) को साबित करने के लिए की गई थी।पी डब्लू-5, सुदर्शन प्रसाद सिंह जनवरी 1982 में एफ सी आई के उप प्रबंधक (सतर्कता और सुरक्षा) थे, जिनकी जांच प्रदर्श-8 के तहत शिकायत साबित करने के लिए की गई थी। पी डब्ल्यू-6, जे पी वर्मा को अक्तूबर, 1982 में सी बी आई, पटना के निरीक्षक के रूप में तैनात किया गया था।) को दिया गया है।वैगन रखरखाव रजिस्टर में प्रविष्टियों को साबित करने के लिए पीडब्ल्यू-7, एक मोहम्मद इब्राहिम, हेड गुड्स क्लर्क की जांच की गई। पीडब्ल्यू-9, राम बरन महतो, बीएचएफ-3155 वाले ट्रक का चालक है। ट्रक संख्या बीएचएफ-3155 के पीडब्ल्यू-10, राजेंद्र महतो, खलासी की भी जांच की गई। पीडब्ल्यू-11, दुलाल विश्वास, सहायक प्रबंधक, लेखा, एफसीआई की जांच की गई। पीडब्ल्यू-12, त्रिलोकी राम, सहायक प्रबंधक, लेखा परीक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, एफसीआई, पटना, जिन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है (प्रदर्श-12) की जांच की गई।पीडब्ल्यू-13, एम. के. पाठक, सहायक प्रबंधक, एफसीआई, जिन्होंने वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया था, की जांच की गई।पीडब्लू-14, मनमोहन सिंह, बीएचएफ-3155 ट्रक का मालिक है।पीडब्लू-15, प्रतुल कुमार सिंह, बीआरआई-7851 वाले ट्रक के मालिक हैं। पीडब्लू-16, राम नारायण सिंह, एफसीआई के मार्केटिंग हेड वॉचमैन थे। पीडब्लू-17, राम सागर पासवान हैं, जो एजी-3, एफसीआई, तिलरथ के रूप में काम कर रहे थे। पीडब्लू-18, रमा राय, बीआरआई-7851 वाले ट्रक का चालक है। पी डब्ल्यू-19, जे के

सैमुअल हैं, जो प्रासंगिक समय के दौरान प्रश्नगत दस्तावेजों के उप-सरकारी परीक्षक थे। पीडब्लू-20, रामफल यादव हैं, जो दिसंबर 1978 से दिसंबर 1980 के बीच एजी-2, तिल्रथ डिपो के रूप में कार्यरत थे और पीडब्लू-21, के. एन. सिन्हा जांच अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध की जांच की है।

10. बचाव पक्ष की ओर से श्री आनंद मोहन सहाय से डीडब्ल्यू-1 के रूप में पूछताछ की गई, जो एफसीआई के सहायक डिपो प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं।

11. हमने श्री संतोष मिश्रा और सुश्री अपराजिता सिंह, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकीलों और श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव और श्री पी. के. डे, सीबीआई की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील को सुना है।

12. इन अपीलों में, अपीलार्थियों के विद्वत वकील द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेख पर सभी गवाहों के बयान, जो एफसीआई के कर्मचारी थे, की पूरी सामग्री को समझने में विफल रहा, जिन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यूरिया की 500 थैलियां 24 मार्च, 1980 को गोदाम में पहुंचीं, जो आगे एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा समर्थित है।

13. यह प्रतिवाद किया गया है कि यद्यपि, अभियोजन ने मुख्य रूप से ट्रक चालक, खलासी (क्लीनर) और मालिक के क्रमशः पीडब्ल्यू-9, पीडब्ल्यू-10 और पीडब्ल्यू-14 के साक्ष्य पर भरोसा किया है। बीएचएफ-3155, पीडब्लू-15 और पीडब्लू-18 के मालिक और चालक ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि 500 बैग तिलरथ गोदाम में नहीं पहुंचाए गए थे, लेकिन कथित गवाहों के साक्ष्य के उचित अवलोकन के बाद, कई विसंगतियां और विरोधाभास थे। इसे ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त निर्दिष्ट गवाहों के बयान में विसंगतियों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऐसे गवाहों की गवाही पर भरोसा करने में त्रुटियां की है। यह अपीलार्थियों का मामला है कि अभियोजन यह दिखाने में विफल रहा है कि 1040 बैग का दुर्विनियोजन हुआ था.इसके विपरीत, रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य से पता चलता है कि केवल 540 थैलों के दुर्विनियोग की शिकायत थी।

14. ऐसे अभिकथन को ध्यान में रखते हुए, 500 थैलों के परिवहन के तरीके का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है और विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को 500 थैलों के परिवहन से संबंधित गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफआईआर केवल 540 बैग के संबंध में दर्ज की गई थी, लेकिन 1040 बैग यूरिया के संबंध में नहीं, जैसा कि अभियोजन द्वारा आरोप लगाया गया था।

15. प्रदर्श 24 के अधीन दस्तावेज का उल्लेख करते हुए यह प्रतिवाद किया गया है कि उक्त दस्तावेज से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 25.03.1980 को तिल्रथ गोदाम में 500 बैग यूरिया की सुपुर्दगी की गई थी। इसके अलावा, अभिसाक्ष्य का उल्लेख करके पीडब्लू-4 और पीडब्लू-20 के मामले में, यह कहा गया है कि ऐसे गवाह बैगों को तोलने, गिनने और स्टैक करने के बाद दस्तावेज तैयार करने में शामिल थे, जो सक्षम गवाह थे, जिन्होंने 24/25 मार्च, 1980 को 500 बैग की प्राप्ति के तथ्य को अभिसाक्ष्य दिया है।यह अपीलार्थियों का मामला है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अपीलार्थी अभिकथित अपराधों के लिए दोषी हैं, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-20 के साक्ष्य को खारिज नहीं करना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-20 के साक्ष्य को ऐसे साक्ष्य की सराहना किए बिना, जिन्हें अभियोजन द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, अनुमानों और अनुमानों पर भरोसा नहीं किया गया था। यह कहा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार, आगमन टैली बुक ('डी' फॉर्म), दैनिक प्राप्ति रजिस्टर ('जी' फॉर्म) और गोदाम स्टॉक रजिस्टर ('ओ' फॉर्म) को विभिन्न अधिकारियों द्वारा मुख्य गेट रजिस्टर में शिवशंकर सिंह द्वारा की गई प्रविष्टि के आधार पर बनाए रखा गया था।

16. विद्वत अधिवक्ताओं ने, हमें अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर ले जाकर, प्रस्तुत किया है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य में कोई संगतता नहीं है और अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ कथित अपराध साबित करने में विफल रहा है, निचली अदालत ने उन्हें कथित अपराधों के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा भी उचित परिप्रेक्ष्य में रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना किए बिना की गई है।

17. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत वकील ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करके प्रस्तुत किया है कि अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य सुसंगत हैं और अभियोजन ने उचित संदेह से परे अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि आरंभ में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उर्वरक के 1040 थैलों में से केवल 540 थैलों का ही दुर्विनियोजन किया गया था, लेकिन जांच के बाद, यह पता चला कि उर्वरक के पूरे 1040 थैलों का दुर्विनियोजन किया गया था, जिसमें से, एफ. सी. आई. गोदाम के रिकॉर्ड में 500 थैलों की सीमा तक झूठी प्रविष्टियां की गई थीं, ताकि यह दिखाया जा सके कि यूरिया के 500 थैले आ गए थे। इस संबंध में, गेट पास/रजिस्टर जो अपीलार्थी द्वारा बनाए रखा जाना था,यानी शिवशंकर प्रसाद सिंह ने 500 बोरी उर्वरक प्राप्त करने के संबंध में फर्जी प्रविष्टियां की हैं। इसी तरह, अपीलार्थी, अर्थात्, रामदेव प्रसाद ने भी अपने द्वारा रखी गई प्रविष्टियों को गलत साबित किया है और 'ओ' फॉर्म में 'जी'-फॉर्म और गोदाम स्टॉक रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और यह दिखाने के लिए कि इस तरह के 500 बैग उर्वरक आए थे और उतारे गए थे। अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन ने उचित संदेह से परे उन सभी अभियुक्तों के षड्यंत्र को साबित किया है जिन्होंने खातों में जालसाजी करके आपराधिक विश्वासघात किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे भारी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट ने उचित रूप से दोषी ठहराया है और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ दोषसिद्धि की सही पुष्टि की है और नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज ऐसे समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अभिलिखित निष्कर्ष या तो विकृत हैं या गलत, ताकि उसके साथ हस्तक्षेप किया जा सके।विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलों में योग्यता का अभाव है और उन्हें खारिज किया जाना चाहिए।

18. पक्षकारों के विद्वत वकील को सुनने के बाद, हमने आक्षेपित निर्णयों और अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया है।

19. शुरुआत में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूरिया के केवल 540 थैलों के गबन का आरोप लगाते हुए प्रारंभिक शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन जांच से पता चला कि यूरिया के पूरे 1040 थैलों का गबन किया गया था। यह अभियोजन पक्ष का विशिष्ट आरोप है कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों ने आपराधिक इरादे से साजिश रची है और खातों में जालसाजी की है। यूरिया की 1040 बोरियों में से 500 बोरियों में यूरिया लदा हुआ पाया गया। बीआरआई-7851 और बीएचएफ-3155 प्रत्येक में 250 बैग थे, लेकिन यह पाया गया कि इस तरह के उर्वरक बैग की कोई वास्तविक डिलीवरी नहीं हुई और एफसीआई रिकॉर्ड गलत साबित हुए। आपराधिक अपील संख्या 1804 वर्ष 2011 में अपीलकर्ता शिव शंकर प्रसाद सिंह के खिलाफ अभियोजन का विशिष्ट मामला यह है कि वह गेट पर रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के लिए जिम्मेदार था और उसने यूरिया के ऐसे 500 थैलों के आगमन की झूठी प्रविष्टियां की हैं, हालांकि वास्तव में ऐसी उर्वरक की आपूर्ति नहीं की गई थी। इसी प्रकार और तदनुसार, 'ओ' फॉर्म और 'जी' फॉर्म में आगे के रजिस्टरों में झूठी प्रविष्टियां की गईं, जिसके लिए रामदेव प्रसाद जिम्मेदार हैं। केवल इसलिए कि प्रारंभिक शिकायत में यूरिया की 540 थैलियों के दुर्विनियोग का उल्लेख किया गया है, हम उस आरोप पत्र को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जो जांच के बाद दायर किया गया था जिसमें यूरिया की 1040 थैलियों की पूरी गुणवत्ता के दुर्विनियोग का खुलासा हुआ था। यह जांच अधिकारी के बयान से स्पष्ट है जिसकी पी डब्लू 21 के रूप में जांच की गई थी।रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से यह स्पष्ट है कि जहां तक यूरिया की 500 बोरियों का संबंध है, हालांकि उन्हें दो ट्रकों में लोड किया गया था। लेकिन बीआरआई-7851 और बीएचएफ-3155 को तिलरथ स्थित एफसीआई गोदाम में नहीं ले जाया गया और मुख्य गेट रजिस्टर और अन्य रजिस्टरों में फर्जी प्रविष्टियां की गईं, जो 'ओ' फॉर्म और 'जी' फॉर्म में रखी जा रही हैं।

20. यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी, शिव शंकर सिंह प्रासंगिक समय के दौरान एजी-III के रूप में काम कर रहा था और वह डिपो में खेप की प्राप्ति का प्रभारी था। आगे के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी शिवशंकर प्रसाद सिंह ने 25 मार्च 1980 को 250 बैग यूरिया के साथ बीआरआई-7851 और बीएचएफ-3155 वाले ट्रकों का आगमन दिखाया है.अभिलेख पर साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि भौतिक सत्यापन 06.10.1982

और 06.11.1982 के बीच किया गया था और उससे ठीक पहले, चार्ट (प्रदर्श 24) 01.10.1982 को अस्तित्व में लाया गया था, जो दर्शाता है कि यूरिया की 500 थैलियां दो ट्रकों में वितरित की गई थीं। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि जो दस्तावेज प्रदर्श 24 (चार्ट) के तहत तैयार किया गया है, वह ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे आधिकारिक कामकाज के दौरान बनाए रखने की आवश्यकता है और उसे केवल यह दिखाने के लिए तैयार किया गया है कि उर्वरक का स्टॉक आ गया है, हालांकि वास्तव में इसे नहीं लाया गया था। जहां तक पीडब्ल्यू-17 की गवाही का सवाल है अर्थात्, राम सागर पासवान का मामला है, अभियोजन पक्ष द्वारा उस पर भरोसा नहीं किया गया और उसे प्रतिकूल घोषित कर दिया गया।

21. अपीलार्थियों के विद्वत वकील ने पीडब्लू-4 और पीडब्लू-20 के साक्ष्य पर बहुत जोर दिया है, जिन्होंने 25.03.1980 को प्रदर्श 24 के आधार पर 500 बैग यूरिया के वितरण के बारे में बात की है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि प्रदर्श 24 के तहत ऐसा दस्तावेज एक दस्तावेज है जो एफआईआर दर्ज करने के बहुत बाद तैयार किया जाता है। यह घटना मार्च 1980 के महीने में हुई है और प्रदर्श 24 के तहत दस्तावेज केवल 01.10.1982 को अस्तित्व में लाया गया था। कथित साक्ष्य पर यदि अभिलेख पर अन्य मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विचार किया जाता है, तो यह अपीलार्थियों के मामले को गलत साबित करता है। साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि एक ट्रक का उपयोग, वास्तव में, 25 मार्च 1980 को 250 बैग यूरिया के परिवहन के लिए किया गया था, लेकिन एफएसडी एफसीआई, तिलरथ में कथित बैग पहुंचाने के बजाय, ट्रक को डायवर्ट कर दिया गया और उर्वरक की ऐसी वस्तु को मंझौल में पहुंचाया गया जो एक अलग स्थान है। यह रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से भी स्पष्ट है, एक अन्य ट्रक जिस पर नं.बीआरआई-7851, जिसका कथित तौर पर यूरिया की 250 थैलियों को ले जाने में उपयोग किया जाता है, का उपयोग कभी भी उर्वरक ले जाने के लिए नहीं किया गया। इसका कोई कारण नहीं है अभिलेख पर ऐसे सकारात्मक साक्ष्य को खारिज कर दें, जिससे अभियुक्त का दोष साबित हुआ हो।निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने वाहनों के मालिकों, चालकों और खलासी के प्रश्नगत वाहन पर भरोसा किया है।

22. अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की समग्रता पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन ने अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है। अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष, जैसा कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, या तो विकृत हैं या गलत हैं जिससे कि उनमें हस्तक्षेप किया जा सके। आपराधिक इरादे के साथ दुर्विनियोग के आरोप के अलावा अभियोजन का एक विशिष्ट मामला है कि सभी अभियुक्तों ने साजिश रची है और वे भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत अपराध के लिए दंडनीय हैं अर्थात्, राम नाथ शर्मा @राम नाथ प्रसाद शर्मा को पहले ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2009 के विशेष अनुमति याचिका आदेश द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है ।

23. उपरोक्त कारणों से, हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती है, इसलिए उन्हें खारिज कर दिया जाता है। नतीजतन, अपीलकर्ताओं के जमानत बांड रद्द किए जाते हैं।अपीलकर्ता आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर शेष सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करेंगे। समय के भीतर इस तरह के आत्मसमर्पण में विफल रहने पर, प्रतिवादी आरोपी के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अभय मनोहर सप्रे], न्यायमूर्ति

[आर. सुभाष रेड्डी], न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

28 फरवरी, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।